13/05/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप। अप्रार्थी अर्जुनसिंह के अधिवक्ता की ओर से रास्ता दिये जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR वाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	अनुमोदित। कार्यवाही की इन्द्राज हेतु स्वीकार हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/175
दायरा तिथि : 20.05.2022
आदेश तिथि : 13.5.2024
प्रार्थी :–

1. श्री मनीष गुरानी पुत्र मोहनलाल गुरानी जाति सिन्धी निवासी उदयपुर सिटी (राज.)

–:: बनाम ::–

अप्रार्थीगण :–

01. श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री पुनमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हाल जोधपुर ।
02. श्री किरण कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति लोहार निवासी सुमेरपुर जिला पाली।
03. श्रीमती कमला पत्नि श्री अनानाथ व अन्य जाति जोगी निवासी बरावल तहसील बाली।
04. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 13/5/024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1326/1 रकबा 1.1200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1326/2, 1326/3 एवं 1322 मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एव इस संबध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एव अभिलेखीय स्थिति की जाच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक बेडा ने जाच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1854 दिनांक 12.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा की जाच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1326/1 रकबा 1.1200 हैक्टर की भूमि प्रार्थी श्री मनीष गुरानी पुत्र मोहनलाल गुरानी जाति सिन्धी निवासी उदयपुर सिटी (राज.) के नाम से खातेदारी भमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मोरी बेडा स्टेशन के खसरा नबर 1385/1326, 1389/1326 मे जहा से रास्ता चाहा गया है उक्त स्थान की भूमि उबड–खाबड होने से रास्ता नही दिया जा सकता। इसलिए ग्राम बेडा–I और मोरी बेडा स्टेशन के बिन्दू संख्या 2 मे वर्णित खसरो मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है।

2. यह है कि ग्राम ग्राम बेडा–I और मोरी बेडा स्टेशन मे रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है–

पेज लगातार.....02

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/175

अनवान मनीष गुरानी बनाम अर्जुनसिंह

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र स	ग्राम	ख.न.	रकबा (है.)मे	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार	विवि
1	बेडा–I	23	0.25 है0	बा दो	140x09 =1260 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार	प्रस्तावित स्थान पर रास्ता मौके पर चल रहा है।
2	मोरी बेडा स्टेशन	1325	0.21 है0	बा दो	12x09= 108 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार	प्रस्तावित स्थान पर रास्ता मौके पर चल रहा है।
3	मोरी बेडा स्टेशन	1324	0.21 है0	बा दो	76x09= 684 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार	प्रस्तावित स्थान पर रास्ता मौके पर चल रहा है।
4	मोरी बेडा स्टेशन	1323	0.38 है0	बा. दो	60x09= 540 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार	प्रस्तावित स्थान पर रास्ता मौके पर चल रहा है।
5	मोरी बेडा स्टेशन	1388/ 1326	0.56 है0	बा दो	72x09= 648 वर्गमीटर	श्री मनीष गुरानी पुत्र मोहनलाल गुरानी जाति सिन्धी निवासी उदयपुर सिटी	उक्त भूमि मे जहा मौके पर रास्ता चल रहा है, उसी स्थान पर प्रस्तावित किया गया है भूमि के दोनो और पहाड/भाखर अवस्थित होने से रास्ता दिया जाना सम्भव नही है।
6	मोरी बेडा स्टेशन	1384/ 1326	0.56 है0	बा. दो.	95x09= 855 वर्गमीटर	अर्जुनसिंह पुत्र पुनम सिंह जाति रावणा राजपूत सा जोधपुर	उक्त भूमि मे जहा मौके पर रास्ता चल रहा है, उसी स्थान पर प्रस्तावित किया गया है भूमि के दोनो और पहाड/भाखर अवस्थित होने से रास्ता दिया जाना सम्भव नही है।

3. उपरोक्त खसरों में से प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी पर है इससे कम दूरी का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा–I की डी.एल.सी. दर खसरा नंबर 179896/– प्रति हैक्टर व ग्राम मोरी बेडा स्टेशन की डी.एल.सी. दर खसरा नंबर 94562/– प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में से किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार नही कर अन्य खसरों में से दिए जाने बाबत् अनुशंषा की है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर **अप्रार्थी अर्जुनसिंह की ओर से वकील पेश कर प्रकरण में रास्ता दिए जाने की सहमति प्रदान की है।** वहीं अप्रार्थी द्वितीय एवं तृतीय तलबी के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नबर 1326/1320 रकबा 1.1200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जाच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1854 दिनांक 12.02.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो स्वीकार है परन्तु प्रस्तावित रास्ते मे से ग्राम **मोरी बेडा स्टेशन के खसरा संख्या 1388/1326 रकबा 0.5600 हैक्टर को प्रार्थी ने क्रय कर लिया है।** जिसकी नवीनतम जमाबन्दी पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/03 pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नबर 1326/1 रकबा 1.1200 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम बेडा–I के खसरा नबर 23 रकबा 0.2500 हैक्टर तथा ग्राम मोरी बेडा स्टेशन खसरा नबर 1325 रकबा

पेज लगातार.....03

उपखण्ड कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/175
अनवान मनीष गुरानी बनाम अर्जुनसिंह
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

0.2100 हैक्टर, खसरा नंबर 1324 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नंबर 1323 रकबा 0.3800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1384/1326 रकबा 0.5600 हैक्टर में से **3447 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डीएलसी दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डीएलसी दर (बेड़ा) 179896/– व (मोरी बेड़ा स्टेशन)94562/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
23	0.25 है0	140x09=1260 वर्गमीटर	18	22680 **X2 =45360**	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1325	0.21 है0	12x09=108 वर्गमीटर	10	1080 **X2 = 2160**	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1324	0.21 है0	76x09=684 वर्गमीटर	10	6840 **X2 =13680**	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1323	0.38 है0	60x09=540 वर्गमीटर	10	5400 **X2 =10800**	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1384/1326	0.56 है0	95x09=855 वर्गमीटर	10	8550 **X2 =17100**	अर्जुनसिंह पुत्र पुनम सिंह [illegible]

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 89100/– (अक्षरे नवासी हजार एक सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थी निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/562-566 दिनांक 15/5/024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का दुदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मनीष गुरानी पुत्र मोहनलाल गुरानी जाति सिन्धी निवासी उदयपुर सिटी (राज) को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली